

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

लेखा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समाय केन्द्र,
पीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा १७५ अनुदान

विषय:-

शारदा पञ्चिक स्कूल बलरामगढ़ को सी०बी०स०इ०नईदिल्ली से संबद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने।

म्होट्य,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का
निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०स०इ० नईदिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में हस राज्य सरकार को निष्पत्तिशित
प्रतिबंधों के अधीन अपत्ति नहीं है :-

- १। विद्यालय की पंजोकूत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा।
- २। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।।
- ३। विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक
शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित
शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।।
- ४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी
और यह पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा
परिषद् से सान्त्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्यामिनेशन
नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों
की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा
प्रदत्त गान्धीता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः साप्त हो
जायें।।

- १५ रास्था के शैक्षिक एवं शिक्षणित्तर कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षा रास्थार्गों के कर्मचारियों को अनुग्रह वेतनमानों तथा अन्य भत्ताओं से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं हिते जायें।
- १६ लम्हारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशास्त्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुग्रह रेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायें।
- १७ राज्य सरकार द्वारा रामय-समय पर जो भी भाद्रा निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- १८ विद्यालय स्लिड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- १९ उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/स्विकर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी रामय-यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

शिक्षा प्रकाश गुप्त
संयुक्त सचिव ।

पृ०३० एवं दिनांक तौरेव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- २- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद।
- ३- जिला विद्यालय निरीक्षक, बलरामपुर।
- ४- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उपराज, लखनऊ।
- ५- प्रबंधक, शारदा पाठ्यक स्कूल, बलरामपुर।
- ६- गार्ड बुक।

आज्ञा ग.

शिक्षा प्रकाश गुप्त
संयुक्त सचिव ।